राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

1 6 MAR 1998

क्रमांकः प. 9(2)(155)कार्मिक/क-3/97

जयपुर, दिनांक

परिपत्र

समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव,
समस्त विशिष्ट शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (मय समस्त जिला कलक्टर)

विषयः-मृतक राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध जांच को समाप्त करने के क्रम मे।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि राज्य कर्मचारी/ अधिकारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् भी काफी समय तक उनके विरुद्ध जांच को समाप्त नहीं किया जाता है, जिससे राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के आश्रितों को पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाता है।

इस परिपत्र के द्वारा समस्त सम्बन्धितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि मृतक राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई जांच लम्बित हो तो उसे तत्काल समाप्त करने की आवश्यक कार्रवाई करें, परन्तु एक से अधिक कर्मचारियों/ अधिकारियों की संयुक्त जांच होने की स्थिति में मृत राज्य सेवक के अलावा अन्य के संदर्भ में जांच कार्रवाई यथावत रहेगी।

शासन उप सचिव

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1